आई.सी.आई.सी.आई. बैंक

बनाम

शांति देवी शर्मा व अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 900/2008)

15 मई, 2008

[तरूण चटर्जी और दलवीर भंडारी, जे.जे.]

बैंक/बैंकिंगः श्रण की वसूली या वाहनों की जब्ती-

केवल कानूनी तरीको से की जा सकती है ऋणदाताओ/बैंकों को नही करवाना चाहिए। ऋणों की वसूली के लिए बाहुबल का उपयोग नही करना चाहिए और विषम समय में उधारकर्त्ता को लगातार परेशान नही करना चाहिए। वितिय परिसम्पति प्रतिभूतिकरण और पुननिर्माण और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002-सुरक्षा हित(प्रवर्तन) नियम 2002-आरबीआई के दिशानिर्देश ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता पर आर बी आई के दिशानिर्देश दिनांकित 05.05.2023 दिशानिर्देश(वी) (सी) वसूली एजेंटों की नियुक्ति पर दिशानिर्देश दिनांक 24.04.2008।

अभियोजन का मामला यह था कि प्रतिवादी के बेटे ने अपीलकर्त्ता बैंक के वसूली एजेंटो द्वारा उत्पीड़न और अपमान के परिणामस्वरूप आत्महत्या कर ली। प्रतिवादी ने एक रिट याचिका दायर कर अपीलकर्त्ता बैंक के खिलाफ कार्यवाही करने का पुलिस आयुक्त को निर्देश देने की मांग की गई। उच्च न्यायालय ने पुलिस को बैंक के खिलाफ अन्वेषण की स्थिति के बारे में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। बाद में उच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा दर्ज कराई गई दो स्थीति रिपोर्टो की समीक्षा की। इसने उन्हें असंतोषजनक पाया और तदनुसार, अन्वेषण अधिकारी को मामले की अन्वेषण को

यथाशीघ्र समाप्त करने और मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने कहा कि मृतक की मृत्यु का संभावित कारण जिसके कारण उसने आत्महत्या की बैंक के लोगों द्वारा किया गया अपमान था, जहां से उनके द्वारा ऋण लिया गया था, और उनके द्वारा नियोजित कार्यप्रणाली बैंक अपनी ऋण राशि की वसूली करना और जिस वाहन के बदले ऋण दिया गया है उसका कब्जा पुनः प्राप्त करना वैध नहीं था।

अपीलकर्त्ता बैंक ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत पक्षकार बनने के साथ ही स्पष्टीकरण/हटाने/संशोधन के लिए आवेदन दायर किया। अपीलकर्त्ता बैंक के अनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणीयां अनुचित थी और मामला तय करने के लिए आवश्यक नही थी।

दिनांक 11.08.2006 के आदेश में उच्च न्यायालय ने विवादित टिप्पणियों को इस आधार पर हटाने के लिए इनकार कर दिया कि उन्हें जानबूझकर बनाया गया था, हालांकि यह कहते हुए मामले को स्पष्ट कर दिया कि अपीलकर्त्ता बैंक के खिलाफ की गई कोई भी टिप्पणी कार्यवाही को प्रभावित या प्रभावित नहीं करे। यदि उक्त बैंक या उसके कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अपीलार्थी बैंक ने वर्तमान अपील दायर की।

अपील का निपटारा करते हुए,न्यायालय द्वारा माना गया

1. शिकायत के संदर्भ से पता चलता है कि इसकी सामग्री में आरोप हैं न कि तथ्य। इसके अलावा, अन्वेषण जारी था। इस प्रकार यह समझा जाना चाहिए था कि उच्च न्यायालय कथित तथ्यों का उल्लेख कर रहा था। उच्च न्यायालय इस बात पर अधिक सावधान हो सकता था कि जिन तथ्यों पर उसने चर्चा की गई थी, वे कथित

थे। इसे स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियां कार्यवाहियों को प्रभावित या प्रभावित करने के लिए नहीं थे। यह न्यायालय भी उसी बात को दोहरा रहा है। टिप्पणियों का चल रही अन्वेषण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस स्पष्टीकरण को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्त्ता बैंक काफी हद तक व्यथित है। न ही विवादित टिप्पणियों को हटाने से कोई खास प्रभाव पड़ेगा। किसी भी परिदृश्य में टिप्पणियों को हटा दिए जाने का उन्हें स्पष्ट कर दिए जाने पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता है। फिर भी वित्तीय संस्थानों को यह याद दिलाना उचित है कि वे कानून से बंधे हैं। ऋण की वसूली या वाहनों की जब्ती केवल कानूनी तरीके से ही की जा सकती है।(पैरा 8,9 और 10)(979-ए-ई)

2. वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित (प्रवर्तन)अधिनियम 2002, सरफेसी और इसके तहत बनाए गए सुरक्षा हित(प्रवर्तन) नियम 2002 (एसआईईआर) कुछ ऐसी ऋण प्रक्रियाएं प्रदान करते हैं जिनके द्वारा सुरक्षा हितों की वसूली की जा सकती है। सरफेसी और एसआईईआर के अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (आरबीआई) ने इस विषय पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता पर 05.05.2023 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश(वी)(सी) में प्रावधान है कि ऋणों की वसूली के मामलों में ऋणदाताओं को अनुचित उत्पीड़न सहारा नहीं लेना चाहिए, जैसे विषम समय पर लगातार उधारकर्त्ताओं को परेशान करना ऋण की वसूली के लिए बाहुबल का उपयोग करना आदि। इन दिशानिर्देशों का अधिक व्यापक संस्करण हाल ही में 24 अप्रैल, 2008 को जारी किए गए थे। दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से उन तरीकों के संबंध में(I)(X) पर 05.05.2003 दिशानिर्देशों का संदर्भ देते हैं जिनके द्वारा वसुली एजेंट सुरक्षा हितों पर संग्रह होते हैं। इसके अलावा, 24 अप्रैल, 2008 के दिशानिर्देशों में बकाया वसूली संबंधित ग्राहकों के

प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता के पैराग्राफ 6 का भी उल्लेख किया गया है।(पैरा 11,12) (980-ए)

3. आरबीआई ने कथित रूप से कानून का उल्लंघन करने वाले वसूली एजेंटो को शामिल करने के लिए हाल के दिनों में बैंक के खिलाफ दायर मुकदमें की संख्या के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। 24 अप्रैल, 2008 के दिशानिर्देशों के साथ लिखे पत्र में आरबीआई ने कहा कि हाल के दिनों में रिकवरी एजेंटो को नियुक्त करने के लिए बैंकों के खिलाफ विवादों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए यह महसूस किया गया है कि प्रतिकूल प्रचार से समग्र बैंकिंग क्षेत्र के लिए गम्भीर प्रतिष्ठा जोखिम पैदा होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है जैसा कि दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर बैंकों को लगने वाले जुर्माने से पता चलता है। (पैरा13)(981-ए-जी)

4. बैंको और अन्य वित्तीय संस्थानों को यह याद दिलाना उचित है कि हम एक सभ्य देश में रहते हैं और कानून के शासन द्वारा शासित होते हैं। उपरोक्त आरोपों की जांच की गंभीरता को देखते हुए मामले की अन्वेषण कराया जाना चाहिए। इसे यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और उसके बाद संबंधित पुलिस उपायुक्त को अन्वेषण की रिपोर्ट उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अपीलकर्ता को इस मुकदमें की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया गया जिसकी मात्रा 25,000/-रुपए के रूप में निर्धारित की जाती है। (पैरा 14-16)(982-डी-जी)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 900/2008

अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 13.07.2006 और 11.08.2006 को दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली में डब्ल्यूपी (सीआरएल) संख्या 576/2006 और सीआरएल एमए संख्या 8093-94/2006 2006 के 576

अपीलकर्ता की ओर से (यू.यू. ललित, मनु नायर और मार्क डिसूजा(मैसर्स के लिए)सुरेश ए श्रॉफ एण्ड कम्पनी)।

प्रतिवादीयों की ओर से बी.बी.सिंह डी एस महरा और अशोक के. महाजन।

न्यायालय का फैसला दलवीर भंडारी.जे. ने सुनाया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2 यह अपील 13 जुलाई के आदेश के विरूद्ध निर्देशित हैओ 2006 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका(आपराधिक)संख्या 576/2006 में पारित किया गया। (सीआरएल) क्रमांक 576/2006 एवं आदेश दिनांक 11 अगस्त, 2006 पारित, सीआरएल में डब्ल्यू.पी क्रमांक 8093-94/2006 डब्ल्यू.पी (सीआरएल) क्रमांक 576/2006

3. इस मामले में जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या विवादित फैसले के कुछ हिस्से को हटा दिया जाना चाहिए ताकि यह चल रही आपराधिक जांच पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले? प्रतिवादी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक आपराधिक रिट याचिका संख्या 576/2006 दायर की। इस रिट याचिका के माध्यम से, उत्तरदाताओं ने पुलिस आयुक्त को निर्देश देने वाले परमादेश की रिट की मांग की। पुलिस अपीलकर्त्ता बैंक के खिलाफ कार्रवाई करेंगी, प्रतिवादी नंबर 01 ने आरोप लगाया कि जिस तरह से बैंक के वसूली एजेंटों ने उसके बेटे की मोटरसाईकिल को अपने कब्जे मे ले लिया, उसके परिणामस्वरूप उसके बेटे ने आत्महत्या कर ली। पहली सूचना में आईसीआईसीआई बैंक बनाम शांति देवी शर्मा व अन्य। दलवीर भंडारी जे रिपोर्ट (एफआईआर) दिनांक 29.11.2005, प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि 16 अक्टूबर 2005 को दोपहर लगभग 1 बजे, दो वसूली एजेंट (जिन्हें ''गुंडे'' कहा जाता है)जबरन उनके बेटे के बेडरूम में घुस

गए और ऋण के लिए उसे परेशान और अपमानित करना शुरू कर दिया। जो उसके दोपहिया वाहन पर और उसके व्यक्तिगत ऋण पर अतिदेय था।

4. प्रत्यर्थी संख्या 1 के अनुसार उन्होंने उसके दोस्तों की उपस्थिति में लिया गया वाहन वापस ले लिया जिन्होंने मोटरसाईकिल खो जाने के कारण उसका मजाक बनाया। एफआईआर में आगे उल्लेख किया है कि मृतक ने अपनी मोटरसाईकिल का इस्तेमाल अपने छोटे रेस्तरां के लिए सब्जियां लाने के लिए किया था। यह भी आरोप है कि मृतक ने अपनी मोटर के अभाव में अपनी पीठ पर सब्जियां लादकर ले जानी पड़ती थी। जब मृतक को अपनी पीठ पर सब्जियां ले जाते हुए देखकर पड़ौस के सदस्यों ने कथित तौर पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की। मृतक अंततः अपनी पत्नी के सामने रो पड़ा और कथित तौर पर कहा कि उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी इस तरह के अपमान का सामना नहीं किया था। उसी दिन जब उनकी पत्नी कपड़े धो रही थी तो मृतक अंदर के छोटे से कमरे में चला गया और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हम दोहराते हैं कि घटनाएं का यह संस्करण एफआईआर में पाया गया है और इस प्रकार यह इस समय एक आरोप है।

5. इन दावों की सत्यता का पता लगाने के लिए, उच्च न्यायालय ने पुलिस को बैंक के खिलाफ जांच की स्थिति के बारे में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। बाद में उच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा दायर की गई दो स्थिति रिपोर्ट की समीक्षा की। इसने असंतोषजनक पाया और तद्नुसार उच्च न्यायालय ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया मामले की जांच यथाशीघ्र समाप्त करें, उन लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करें जो मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी पाए जा सकते हैं। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने कहा किः

पैरा 1...जिस वाहन के लिए ऋण लिया गया था, उस पर आईसीआईसीआई बैंक द्वारा नियुक्त बाहुबलियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था।

पैरा 3...मृतक की मृत्यु का संभावित कारण, जिस कारण उसने आत्महत्या की, बैंक के लोगों द्वारा किया गया अपमान था, जहां से उसके द्वारा ऋण लिया गया था।

पैरा 4...आईसीआईसीआई बैंक जैसे बैंकों द्वारा अपने ऋण की वसूली और जिस वाहन के बदले ऋण दिया गया है उसका कब्जा वापस पाने के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली विधि बाध्य है और किसी भी स्थिति में उन्हें बाहुबलियों और गुण्डों को डिफॉल्टर पार्टी से अपना बकाया वसूलने के लिए नियुक्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

6. अपीलकर्त्ता बैंक ने दावा किया कि वह उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 1,3 और 4 में की गई टिप्पणियों से व्यथित है। बैंक ने उच्च न्यायाल से पैरा 1,3 और 4 को स्पष्ट करने या हटाने के लिए कहा। उसने पक्षकार बनाने के लिए एक आवेदन के साथ-साथ सीआरपीसी की धारा 482 (उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शंक्ति)के तहत स्पष्टीकरण/हटाने/संशोधन के लिए एक आवेदन के माध्यम से ऐसा किया। अपीलकर्त्ता बैंक के अनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां मामले का निर्णय करने के लिए अनुचित और अनावश्यक थी।

7. दिनांक 11.08.2006 के एक आदेश में उच्च न्यायालय ने विवादित टिप्पणियों को हटाने से इंकार कर दिया क्योंकि उसने उन्हें जानबूझकर किया था और उन्हें हटाने का कोई कारण नहीं है। फिर भी उच्च न्यायालय ने यह कहकर मामले को स्पष्ट किया-

> "....हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि 13.07.2006 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ की

गई कोई भी टिप्पणी उक्त बैंक या उसके कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्यवाही, यदि कोई हो, को प्रभावित या प्रभावित नहीं करेगी।"

8. यह देखते हुए कि जांच पूरी नहीं हुई थी, उच्च न्यायालय अपनी टिप्पणियों की शुरूआत यह कहकर प्रस्तुत कर सकता था कि तथ्य आरोपित किये गये, हालांकि यह नोट किया कि शिकायत पढने से पता चलेगा मृत्यू का संभावित कारण.... बैंक के लोगों द्वारा किया गया अपमान था। ''शिकायत'' के संदर्भ का तात्पर्य यह है कि इसकी सामग्री मे आरोप शामिल है, तथ्य नहीं। इसके अलावा, अन्वेषण जारी था। इस प्रकार, यह समझा जाना चाहिए था कि उच्च न्यायालय आरोपित तथ्यों का उल्लेख कर रहा था। उन्होने कहा कि अदालत इस बात पर ध्यान दे सकती थी कि जिन तथ्यों पर उसने चर्चा की, वे कथित थे। इसे स्वीकार करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियां कार्यवाही को प्रभावित और प्रभावित करने के लिए नहीं थी।

9. हम उसी बात को दोहराते हैं। चल रही अन्वेषण पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस स्पष्टीकरण को देखते हुए, हमें नहीं लगता कि अपीलार्थी बैंक को कोई खास परेशानी हुई है, न ही हम यह मानते हैं कि विवादित टिप्पणियों को हटाने से अधिक प्रभाव पड़ेगा। किसी भी परिदृश्य में, टिप्पणियों को हटा दिए जाने या उन्हें स्पष्ट कर दिए जाने पर कोई भी टिप्पणियों पर भरोसा नहीं कर सकता।

10. जैसा कि उल्लेख किया गया है, अन्वेषण जारी है। न तो उच्च न्यायालय के आदेश और न ही इसमें की गई टिप्पणियां अन्वेषण को प्रभावित करने वाली है, उस समय अवधि को छोड़कर जिसमें इसे पूरा किया जाना चाहिए। फिर भी, वित्तीय संस्थानों को यह याद दिलाना उचित है कि वे कानून द्वारा बाध्य हैं। ऋणों की वसूली या वाहनों की जब्ती केवल कानूनी तरीकों से ही की जा सकती है।

11. वित्तीय संपतियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन, अधिनियम 2002(सरफेसी) और उसके तहत सुरक्षा हित(प्रवर्तन) नियम 2002(एसआईईआर) कुछ प्रक्रियाएं प्रदान करते हैं। जिनके द्वारा सुरक्षा हितों का संरक्षण किया जा सकता है। सरफेसी और एसआईईआर के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई)ने इस विषय पर जारी दिशा-निर्देश। ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता दिनांकित 05.05.2003 के आरबीआई के दिशानिर्देश (वी)(सी)में प्रावधान पद प्रदान करता है किः ''ऋण की वसूली के ''मामले में, ऋणदाताओं को अनुचित उत्पीड़न का सहारा नहीं लेना चाहिए जैसे कि विषम समय में उधारकर्त्ताओं को लगातार परेशान करना, ऋण आदि की वसूली के लिए बाहुबल का प्रयोग।

12. इन दिशानिर्देशों का एक अधिक व्यापक संस्करण हाल ही में 24 अप्रैल,2008 को जारी किया गया था। दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से 05.05.2003 के दिशानिर्देशों(।)(X) का संदर्भ देते हैं। जिनके द्वारा वसूली एजेंट सुरक्षा हितों पर एकत्र करते हैं। इसके अलावा 24 अप्रैल, 2008 के दिशा निर्देशों में बकाया वसूली से संबंधित अनुच्छेद 6 ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता(बीसीएसबीआई कोड) के पैरा ग्राफ 6 का भी उल्लेख किया गया है। बीसीएसबीआई कोड के पैरा 6 में अन्य बतों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान भी हैः

> स्टाफ के सभी सदस्य या कोई भी व्यक्ति जो संग्रहण या और सुरक्षा पुनर्ग्रहण में हमारे बैंक का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत हैं, नीचे दिए दिशानिर्देशों का पालन करेगा।
>
> 1. आपसे आमतौर पर आपकी पसंद के स्थान पर और किसी निर्दिष्ट स्थान के अभाव में आपके निवास स्थान पर और यदि आपका निवास

स्थान अनुपलब्ध है तो व्यवसाय कार्य के स्थान पर संपर्क किया जाएगा।

2. पहचान प्रतिनिधित्व करने का अधिकार आपको पहली बार में ही बता दिया जाएगा।

3. आपकी निजता का सम्मान किया जाएगा।

4. आपके साथ बातचीत सभ्य तरीके से होगी।

5. आमतौर पर हमारे प्रतिनिधि आपसे 07.00 बजे से 19.00 बजे के बीच सम्पर्क करेंगे जब तक कि आपके व्यवसाय या व्यवसाय की विशेष परिस्थितियों में अन्यथा आवश्यकता न हो।

6. किसी विशेष समय या किसी विशेष स्थान पर कॉल से बचने के आपके अनुरोध का यथासंभव सम्मान किया जाएगा।

7. कॉल का समय और संख्या और बातचीत की सामग्री का दस्तावेजीकरण किया जाएगा।

8. बकाया राशि के संबंध में विवादों या मतभेदों को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य और व्यवस्थित तरीके से हल करने के लिए सभी सहायता दी जाएगी।

9. बकाया राशि की वसूली के लिए आपके स्थान पर आने के दौरान शालीनता और शिष्टाचार बनाए रखा जाएगा।

10. अनुचित अवसर जैसे परिवार में शोक या ऐसे अन्य विपत्तिपूर्ण अवसर पर बकाया राशि एकत्र करने के लिए कॉल/मुलाकात करने से बचा जाएगा। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस संहिता के

साथ-साथ अन्य को 24 अप्रैल, 2008 के दिशानिर्देशों में शामिल किए गएः

"(IX) उधारदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश के संबंध में (ए) परिपत्र डीबीओडी.एलईजी.नंबर.बीसीः 104/09.07.2007/2002-03 दिनांक 5 मई,2003 का संदर्भ आमंत्रित है। परिपत्र डीबीओडी के वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग के संबंध में क्रमांक बीपी 40/21.04.158/2006-07 दिनांक 03 नवम्बर, 2006 और (सी)मास्टर परिपत्र डीबीओडी एसएसडी बीसी 17/24.01.2011/2007-2008 दिनांक 02 जुलाई, 2007 क्रेडिट कार्ड परिचालन। इसके अलावा बकाया राशि के संग्रहण से संबंधित ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता(बीसीएसबीआई कोड) के पैराग्राफ 6 के लिए एक संदर्भ को भी आमंत्रित किया जाता है। बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे ऋण वसूली की प्रक्रिया के दौरान उपरोक्त उल्लिखित दिशा-निर्देशों/ कोड का सख्ती से पालन करें (जोर दिया गया।)"

13 आरबीआई ने कथित तौर पर कानून का उल्लघंन करने वाले रिकवरी एजेंटों को शामिल करने के लिए हाल के दिनों में बैंकों के खिलाफ दायर मुकदमों की संख्या के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। रिकवरी एजेंटों की नियुक्ति पर 24 अप्ैरल, 2008 के दिशानिर्देशों के साथ लिखे पत्र में, आरबीआई ने कहा ''हाल के दिनों में रिकवरी एजेंटों को नियुक्त करने के लिए बैंकों के खिलाफ विवादों और मुकदमों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए, यह महसूस किया गया है कि प्रतिकूल प्रचार के परिणामस्वरूप समस्त रूप् से बैंकिंग क्षेत्र के लिए गंभीर प्रतिष्ठा जोखिम पैदा होगा। ''आरबीआई ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है जैसा कि दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहने

पर बैंकों को लगने वाले जुर्माने से पता चलता है। आरबीआई द्वारा तैयार दिशानिर्देशों का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार निर्धारित किया गया है-

3. बैंक प्रिंसिपल के रूप में अपने एजेंटों के कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं- इसलिए, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बकाया की वसूली के लिए लगे एजेंटों को बकाया वसूली की प्रकिया में बीसीएसबीआई कोड सहित उपरोक्त दिशानिर्देशा और निर्देश का सख्ती से पालन करना चाहिए।

4. उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लघंन और बैंक के वसूली एजेंटो द्वारा अपनाई जाने वाली अपमानजनक प्रथाओं को अपनाने के संबंध में रिवर्ज बैंक द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से देखें। रिजर्व बैंक किसी बैंक पर सीमित अवधि के लिए किसी विशेष क्षेत्र, या तो क्षेत्राधिकार या कार्यात्मक, में वसूली एजेंटों को नियुक्त करने पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकता है। उपरोक्त दिशानिर्देश, के लगातार उल्लंघन के मामले में, रिजर्व बैंक, प्रतिबंध की अवधि या प्रतिबंध के क्षेत्र को बढ़ाने पर विचार कर सकता है। इसी तरह पर्यवेक्षी कार्यवाही तब की जा सकती है जब उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय वसूली प्रक्रिया से संबंधित नीति, अभ्यास और प्रक्रिया के संबंध में किसी भी बैंक या उसके निदेशकों/अधिकारियों/एजेंटों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हैं या जुर्माना लगाते हैं।

5. यह उम्मीद की जा रही है कि बैंक सामान्य तरीके से यह सुनिश्चित करें कि उनके कर्मचारी या एजेंट भी ऋण वसूली प्रक्रिया के दौरान उपरोक्त दिशानिर्देश का पालन करें।

14. हम बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को याद दिलाना उचित समझते हैं कि वित्तीय संस्थान जो हम एक सभ्य देश में रहते हैं और हैं कानून के शासन द्वारा शासित है।

15. उपरोक्त आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, हम उम्मीद करते हैं कि मामले का अन्वेषण यथासंभव शीघ्रता से किया जाएगा और किसी भी स्थिति में, इसे तीन महीने की अवधि के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए और उसके बाद, संबंधित पुलिस उप-आयुक्त को इसकी अन्वेषण करना चाहिए। पुलिस को अन्वेषण रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है।

16. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हम अपीलकर्त्ता को निर्देश देते हैं कि वह उत्तरदाताओं को इस मुकदमें की लागत या भुगतान करे जो कि 25,000/- रुपए हैं। लागत का भुगतान तीन सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। हम निर्देश देते हैं कि पुलिस उपायुक्त की रिपोर्ट दाखिल होने के बाद मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।

17. तद्नुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

अपील निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुरेश कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।